प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे प्रकट तथ्यों के आधार पर जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 15/2017 मे पारित आदेश दिनांक 13.6.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार, चौहटन को जांच कर एवं दोनों पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है न कि किसी एक पक्षकार के हक मे सीधे ही निर्णय पारित किया गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया स्थगन प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।